राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7054/2007

स्वर्गीय डॉ. संपत राज जैन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है:-

1/1. श्रीमती रतन कंवर पत्नी स्वर्गीय डॉ. संपत राज जैन, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 78, रैन बसेरा, नेहरू पार्क कॉलोनी, जोधपुर (राज.)।

1/2. श्री मनीष जैन पुत्र स्वर्गीय डॉ. संपत राज जैन, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 78, रैन बसेरा, नेहरू पार्क कॉलोनी, जोधपुर (राज.)।

1/3. श्री प्रशांत जैन पुत्र स्वर्गीय डॉ. संपत राज जैन, उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी 78, रैन बसेरा, नेहरू पार्क कॉलोनी, जोधपुर (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अपने कुलपति के माध्यम से।

2. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

3. सहायक रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री मनोज भंडारी वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ओजस गुप्ता एवं श्री केसर सिंह की सहायता से
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री पी.आर. सिंह श्री किमांक सिंह

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

05/04/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष मृतक याचिकाकर्ता डॉ. संपत राज जैन की विधवा और पुत्र उपस्थित हैं, जो विधि के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, तथा दिनांक 27.02.2007 के आक्षेपित संचार/आदेश से व्यथित थे, जिसके अनुसार, उनके

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि जिस निजी अस्पताल में उन्होंने आपातकालीन स्थिति में उपचार कराया था, वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध नहीं था।

2. याचिका में बताए गए प्रासंगिक तथ्य:

2.1. याचिकाकर्ता डॉ. संपत राज जैन 31 मार्च, 2005 को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ('विश्वविद्यालय') से विधि में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। 22 फरवरी, 2005 को विधि संकाय में शाम की कक्षा पढ़ाते समय याचिकाकर्ता को हृदय में हवा के बुलबुले जैसी अनुभूति हुई और वह बेहोश हो गया। परिणामस्वरूप, उसे मणिधारी अस्पताल और मालू न्यूरो सेंटर ले जाया गया। उसे निगरानी में रखा गया और फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी गई।

2.2. 26 फरवरी, 2005 को याचिकाकर्ता को गोयल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां जाँचे की गई। अगले दिन, उसने आगे के उपचार के लिए उच्च विशेषज्ञता वाले केंद्र में रेफर किए जाने के लिए आवेदन किया।

2.3. पूरे मामले की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अनुसार, दिनांक 04.03.2005 की एक सिफारिश के अनुसार यह सलाह दी गई थी कि याचिकाकर्ता को पहले से दी गई चिकित्सा सलाह के अनुसार विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। उक्त सिफारिश में यह भी उल्लेख किया गया था (दिनांक 03.03.1999 के एक सरकारी परिपत्र पर भरोसा करते हुए) कि याचिकाकर्ता अपने इलाज के लिए कोई भी अस्पताल चुन सकता है, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) में इलाज की लागत के अनुसार ऊपरी सीमा के अधीन होगी।

2.4. उसी दिन, याचिकाकर्ता को मुंबई के खुमा बाला हिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन, एंजियोग्राफी में पाँच प्रमुख धमनी अवरोधों का पता चला अर्थात 95%, 95%, 85%, 75% और 75%। उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल आपातकालीन सर्जरी कराने की सलाह दी गई।

2.5. याचिकाकर्ता को 6 मार्च, 2005 को मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रमाकांत पांडा ने भी तत्काल बाईपास सर्जरी की सलाह दी। 7 मार्च को सर्जरी की गई और याचिकाकर्ता 15 मार्च, 2005 तक अस्पताल में भर्ती रहा। वह 24 मार्च, 2005 को जोधपुर वापस आ गया।

2.6. 17 मई, 2005 को याचिकाकर्ता ने किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 3,53,356 रुपये का मेडिकल बिल पेश किया। सिंडिकेट ने अपने संकल्प संख्या 67/05 दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 में प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी।

2.7. सिंडिकेट की मंजूरी के बावजूद मेडिकल बिलों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार (वित्त शाखा) ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह उस बीमारी का विवरण दें जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया गया था और उसका सत्यापन उस चिकित्सा अधिकारी से करवाएं जिसने उसका इलाज किया था। याचिकाकर्ता ने आवश्यक प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करवाए। लेकिन फिर भी कोई भुगतान नहीं किया गया। नतीजतन, उन्होंने 20 अप्रैल, 2006 को कुलपति को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया।

2.8. 28 अप्रैल, 2006 को सहायक रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उनका मामला मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। बहरहाल, कोई और जवाब न मिलने पर याचिकाकर्ता ने 26 जुलाई, 2006 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मांग पत्र भेजा। सहायक रजिस्ट्रार ने 2 अगस्त, 2006 को जवाब दिया कि विश्वविद्यालय और सरकार के बीच बाद में निष्पादित किए गए 28.04.2006 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मद्देनजर मेडिकल बिल पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा, एक जनहित याचिका में इस न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के तहत यह निर्देश दिया गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना सिंडिकेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता।

2.9. इसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया, जिसमें कहा गया कि वह संबंधित समय पर सिंडिकेट का सदस्य नहीं था और इसलिए इससे जुड़ा नहीं है। 4 दिसंबर, 2006 को इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश उसके मामले को प्रभावित नहीं करता।

2.10. इन सबके बावजूद, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने 27 फरवरी, 2007 को प्रतिपूर्ति के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया। फिर भी, 3 जुलाई, 2007 को सिंडिकेट ने प्रतिपूर्ति पर पुनर्विचार किया और यह तय किया कि यह एम्स की दरों के अनुसार होना चाहिए।

3. याचिका के जवाब में प्रतिवादियों ने यह कहते हुए अपना पक्ष रखा है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध थी। फिर भी याचिकाकर्ता ने मुंबई के गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में जाना चुना। राज्य सरकार ने पूर्ण प्रतिपूर्ति को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि किए गए खर्च विश्वविद्यालय

और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की शर्तों से परे थे। इस प्रकार, प्रतिपूर्ति समझौता ज्ञापन और प्रचलित नियमों के अनुसार की जानी थी।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है। अब मैं आगे के भाग में कारणों को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

5. याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग करने के दावे को प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, किसी न किसी कारण से, उसे उसके उपचार के लिए देय राशि नहीं दी गई। वास्तव में, याचिकाकर्ता, जिसने न्याय पाने के लिए संघर्ष करना सिखाया, उसे अपने जीवनकाल में न्याय नहीं मिला। वह अपना बकाया पाने की आशा में मर गया और अब उसके कानूनी प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के बाद उसके मामले की पैरवी कर रहे हैं।

6. याचिकाकर्ता का दावा मुख्यतः दो आधारों पर अस्वीकार किया गया अर्थात (क) उसके द्वारा मांगी गई राशि की प्रतिपूर्ति एम्स द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है और; (ख) 28.04.2006 के समझौता ज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता किसी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में किए गए उपचार का लाभ लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसा करना अनुमेय नहीं था।

7. दूसरे तर्क पर ध्यान दें तो उपचार निर्धारित दरों से अधिक है। विश्वविद्यालय ने ही उन मामलों में वास्तविक रूप से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक उदार प्रावधान बनाया है, जहां सिंडिकेट ने इसके लिए स्वीकृति दी है। स्वीकृत स्थिति यह है कि एजेंडा संख्या 15, संकल्प संख्या 114/07 के अनुसार मामला सिंडिकेट के समक्ष रखा गया था और दिनांक 03.07.2007 के संकल्प के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति दी गई थी। और फिर भी, याचिकाकर्ता प्रतिपूर्ति पाने की उम्मीद में मर गया, जो उसे जीवन भर नहीं मिला।

8. एमओयू के बाधा होने के दूसरे तर्क के संबंध में, पूरी परिस्थिति ही बदल गई है। 28.04.2006 के एमओयू पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इसे याचिकाकर्ता की सर्जरी/उपचार की तारीख के बाद निष्पादित किया गया था। कम से कम, उक्त एमओयू को याचिकाकर्ता के नुकसान के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उसके उपचार की तारीख तक, ऐसा कोई एमओयू नहीं था और इसलिए, याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होने के कारण, उसके लिए इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। उक्त बचाव पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसलिए, टिकाऊ नहीं है।

9. मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि मामले की योग्यता के विपरीत, दिनांक 27.02.2007 का आक्षेपित आदेश प्रतिवादी संख्या 3-सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया है और न तो रिकॉर्ड पर और न ही बहस के दौरान यह दर्शाया गया है कि विश्वविद्यालय का सहायक रजिस्ट्रार (या यहां तक कि रजिस्ट्रार) सिंडिकेट द्वारा दी गई मंजूरी पर अपील कैसे कर सकता है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय है और इसके निर्णय को कुलपति द्वारा भी खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिपूर्ति को अस्वीकार करने के लिए सहायक रजिस्ट्रार की ओर से किया गया आचरण स्पष्ट रूप से उसके पास निहित शक्तियों से परे है और इस तरह के आचरण की अवमानना की जानी चाहिए, यदि निंदा नहीं की जाए।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा उसके उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करें। देय राशि का भुगतान बिल जमा किए जाने की तिथि से लेकर उसके वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित किया जाए।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।